मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 4 मार्च, 2013 (फाल्गुन 13, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 17 प्रश्नों पर (द्वितीय चक्र सहित) अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 84 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 85 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के रेगांव क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की दयनीय स्थिति होने,

(2) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य की सागर जिले में खिमलासा के स्वास्थ्य केन्द्र में सुविधाओं की कमी होने,

(3) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की जिला धार के सरदारपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति न दी जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम लुहारी में स्कूल का निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने,

(5) श्री देवीसिंह पटेल, सदस्य की जिला बड़वानी के नगर अंजड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(6) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की प्रदेश के अनुदेशकों व पर्यवेक्षकों को पात्रता परीक्षा से वंचित होने पर और अवसर न दिये जाने,

(7) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं परियोजनाओं में लगे संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने,

(8) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की नीमच जिले की ठिकरिया सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावितों को मुआवजा न मिलने,

(9) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम गड्डी में अवैध उत्खनन होने तथा

(10) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर जिले में महिला संविदा कर्मचारी की फ्लू नामक बीमारी से मृत्यु होने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने आवास एवं पर्यावरण विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखीं :-

(क) क्रमांक एफ-3-131-2012-बत्तीस, दिनांक 30 मई, 2012 तथा

(ख) क्रमांक एफ-3-183-2012-बत्तीस, दिनांक 14 सितम्बर, 2012

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

4. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत एवं रामलखन सिंह, सदस्यगण ने रीवा जिले के ग्राम भुण्डहा में राईस मिल की दीवार गिरने से कई मजदूरों की मौत होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सर्वश्री आरिफ अकील एवं रामनिवास रावत तथा तत्पश्चात् चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(2) सर्वश्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य ने जिला खरगोन में ओंकारेश्वर परियोजना अन्तर्गत नहरों के निर्माण के सर्वे में बदलाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल का निर्वाचन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् केवल तीन उम्मीदवार शेष हैं। चूंकि प्रबंध मंडल के लिए केवल तीन सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं अत: निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :-

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल
(2) श्री नरेन्द्र त्रिपाठी
(3) श्री लखन घनघोरिया

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का सोलहवां एवं सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(2) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(3) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(4) श्री रामलल्लू वैश्य , सदस्य (जिला-सिंगरौली)
(5) श्री मोतीलाल तिवारी,सदस्य (जिला-सतना)
(6) श्रीमती रेखा यादव, सदस्य (जिला-छतरपुर)

8. वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण

श्री राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक पर 26 एवं 27 फरवरी, 2013 को प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा के क्रम में श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया। तत्पश्चात्, निम्नलिखित सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(17) श्री रामलखन सिंह
(18) श्री रामनिवास रावत
(19) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(20) श्री के.पी. सिंह
(21) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(22) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(23) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उपनेता प्रतिपक्ष
(24) श्री बृजमोहन धूत

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने, वित्त मंत्री द्वारा कृषि के उपकरणों एवं खाद पर कर कम करने की मांग नहीं माने जाने के विरोध स्वरूप, सदन से बहिर्गमन किया गया)

9. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 1	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन के लिए तीन सौ चौवन करोड़, बाईस लाख, बयासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए सैंतीस करोड़, उनतालीस लाख, इक्कीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 38	आयुष के लिए चार सौ छह करोड़, छियासठ लाख, अठासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 65	विमानन के लिए उन्नीस करोड़, बीस लाख, अठासी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए एक हजार एक सौ तीन करोड़, उनहत्तर लाख, छत्तीस हजार रूपये, तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री रामनिवास रावत
(5) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(6) डॉ. गोविन्द सिंह
(7) श्री देवेन्द्र वर्मा
(8) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(9) श्री रामलल्लू वैश्य
(10) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(11) श्री रामलखन सिंह
(12) श्री राधेलाल बघेल
(13) श्री बाबूलाल वर्मा

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. अध्यक्षीय व्यवस्था
आयुष एवं लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के मंत्रियों द्वारा अनुदान मांगों पर सदन में उत्तर नहीं देने विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण द्वारा उपरोक्त सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान आयुष एवं लोक सेवा प्रबन्धन विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर उनके विभागीय मंत्रियों द्वारा भी सदन में उत्तर नहीं देने पर आपत्ति व्यक्त की गई। उक्त बिन्दु के प्रकाश में, अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए सदन को आश्वस्त किया गया।

(इसी दौरान, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा आवेश में अभिलेख फाड़ने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके आचरण एवं व्यवहार के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की गई।)

11. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(2) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए एक हजार एक सौ सात करोड़, अठानवे लाख, उनचास हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए सतासी करोड़ रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री राधेश्याम पाटीदार
(चर्चा जारी)

अपराह्न 5.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 5 मार्च, 2013 (फाल्गुन 14, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 5 मार्च, 2013